नवभारत
स्वतंत्रता की प्रहरी 1934 से
इंदौर 65 वां वर्ष संस्करण

रंगनाथन दस दिन की रिमांड पर

कप सीरप कांड : कोर्ट में आरोपी ने स्वयं की अपनी पैरवी

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा/ परासिया, 10 अक्टूबर. कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी रंगनाथन को शुक्रवार की देर शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने परासिया न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में आरोपी ने स्वयं अपनी पैरवी की . न्यायालय द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए उसने बताया कि वह पांच राज्यों में अपनी कंपनी में बनी दवाओं को सप्लाई करता है. केवल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ही कप सीरप में गड़बड़ी की शिकायत मिली है.

आरोपी ने स्वयं को बीपी शुगर का पेशेंट बताते हुए कहा कि वह निर्दोष है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि कप कोल्ड ड्रिंप सिरप में निर्धारित मापदंड से अधिक कैमिकल का मिश्रण कैसे हो गया. न्यायालय ने उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए पुलिस द्वारा पेश किए गए रिमांड के आवेदन पर अपनी स्वीकृति देते हुए पुलिस को और मामले में पूछताछ करने के निर्देश दिए. रंगनाथन को छिंदवाड़ा पुलिस बीते दिनों तमिलनाडु से गिरफ्तार कर छिंदवाड़ा लेकर आई, जिसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परासिया थाने में लंबी पूछताछ के बाद देर शाम न्यायालय में पेश किया गया। रंगनाथन को जब देर शाम परासिया न्यायालय में पेश किया गया, उस समय न्यायालय के बाहर खड़ी भीड़ बेकाबू हो गई. पुलिस के विशेष दस्ता वाहन से जैसे ही आरोपी बाहर निकला, उपस्थित भीड़ ने फांसी दो के नारे लगाना शुरू कर दिए. इसके बाद पुलिस के भी हाथ-पांव फूल गए.

सुको में सीबीआई जांच की मांग खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश-राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में सीबीआई या ज्यूडिशियल जांच की मांग खारिज कर दी है. सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ब्रीफ सुनवाई के बाद ये फैसला किया. याचिका में मांग की थी कि ये लापरवाही की चरम सीमा है. इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. केंद्र की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया.

एक नजर में

सावित्री जिंदल बनी भारत की सबसे अमीर महिला

नई दिल्ली . फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2025 में हरियाणा की हिसार से विधायक और ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल को भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है. उनकी कुल संपत्ति 39.6 बिलियन डॉलर (करीब 3 .3 लाख करोड़ रुपए) आंकी गई है, जिससे वे मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी के बाद भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं.

एडीजीपी आत्महत्या मामले की जांच करेगी एसआईटी

चंडीगढ़ 10 अक्टूबर. हरियाणा के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या मामले की जांच अब चंडीगढ़ पुलिस करेगी. मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी (एसआईटी) का गठन किया गया है. चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम इस मामले की जांच करेगी.

केस में चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया सहित 15 अफसरों पर गुरुवार देर रात एफआईआर दर्ज कर ली गई. चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए सेक्टर-11 थाने में केस दर्ज किया गया. हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी मामले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सहित 14 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ है. आईपीएस पूरन की एसपी पत्नी अमनीत पी. कुमार ने इस एफआईआर पर एतराज जताया है. उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को एप्लिकेशन देकर कहा कि एफआईआर में आरोपी अफसरों के नाम अलग से कॉलम में नहीं लिखे गए हैं. एफआईआर को फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाए. इसको लेकर उनकी चंडीगढ़ की एसएसपी से हॉट टॉक भी हुई है. परिवार के राजी न होने से चौथे दिन भी पूरन का पोस्टमॉर्टम नहीं हो पाया है. सरकार ने पूरन कुमार के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है.

आयरन लेडी मारिया को नोबेल शांति पुरस्कार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका

जान को खतरा था, फिर भी देश नहीं छोड़ा

स्टॉकहोम, 10 अक्टूबर. वेनेजुएला में विपक्ष की नेता और इंजीनियर मारिया कोरिना माचादो को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है.

वेनेजुएला की नेता को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा से

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वह कई बार कह चुके हैं कि आठ युद्ध रुकवाने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए. नॉर्वे की नोबेल समिति ने अपने लंबे इतिहास में उन बहादुर महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित किया है जिन्होंने दमन का विरोध किया है, जिन्होंने जेल की कोठरियों, सड़कों और चौक-चौराहों पर आजादी की अलग जगाई है और जिन्होंने अपने कार्यों से दिखाया है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध दुनिया को बदल सकता है.

> सुश्री माचादो को पिछला एक साल छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है. अपनी जान को गंभीर खतरों के बावजूद वह देश में ही रहीं. उनके इस फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है. उन्होंने अपने देश के विपक्ष को एकजुट किया है. वे वेनेजुएला के समाज के सैन्यीकरण का विरोध करने में कभी पीछे नहीं हटीं.

कैग रिपोर्ट में खुलासा : तमिलनाडु में दवा जांच में अनदेखी

नई दिल्ली. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पिछले साल तमिलनाडु में दवा टेस्टिंग में भारी कमी की ओर इशारा किया था. गौरतलब है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सामने आई कैग की रिपोर्ट में औषधि निरीक्षण और नमूने उठाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमियों को दर्शाया था. ये रिपोर्ट 10 दिसंबर 2024 को सामने आई थी. रिपोर्ट के अनुसार, 2016-17 में तमिलनाडु में 1 लाख 8 सौ जांच का लक्ष्य रखा गया था, हालांकि, केवल 66 हजार 331 निरीक्षण ही किए जा सके थे.

हवाला मामले में बंडोल एसडीओपी निलंबित

सिवनी 10 अक्टूबर. हवाला की रकम हेराफेरी के मामले में बंडोल एसडीओपी पूजा पांडे को डीजीपी कैलाश मकवाना ने शुक्रवार को निलंबित कर दिया. इसके पूर्व इसी मामले में गुरुवार रात आईजी जबलपुर रेंज प्रमोद वर्मा ने 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था.

फिलहाल मामले की जांच जबलपुर के एएसपी आयुष गुप्ता को सौंपी गई है. आरोप है कि अफसरों ने नागपुर के शख्स से करीब 3 करोड़ रुपए जब्त किए थे. रिपोर्ट में जब्ती सिर्फ एक करोड़ 45 लाख रुपए की दिखाई.

यही नहीं, आरोपी को भी बिना कार्रवाई के छोड़ दिया और जानकारी वरिष्ठ अफसरों को भी नहीं दी. नागपुर के सोहन परमार ने शिकायत की है कि बुधवार रात कटनी से एक सर्राफा व्यापारी दो करोड़ 96 हजार 500 रुपए लेकर कार से महाराष्ट्र के जालना जा रहा था. रात में एसडीओपी पूजा पांडे, बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम ने लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के शीलादेवी गांव के पास जांच के नाम पर गाड़ी रोक ली और रुपयों से भरा बैग जब्त कर लिया. थाने में भी बैठाकर रखा. इसके बाद गुरुवार सुबह बिना कार्रवाई के छोड़ दिया. नागपुर में मालिक को बताया, तो वह भी आ गए. इसके बाद एक करोड़ 45 लाख रुपए की जब्ती दिखाई. आरोप है कि करीब डेढ़ करोड़ रुपए अफसरों ने बंदरबांट कर लिए. इस बारे में सुबह तक पुलिसकर्मियों ने एसपी समेत अन्य वरिष्ठ अफसरों को जानकारी नहीं दी. यही नहीं, शाम तक कोई कार्रवाई नहीं की. शाम को मीडिया को इस बारे में पता चला.

> मामले के बारे में पूछने पर एसडीओपी ने पहले तो जानकारी नहीं दी. बाद में जांच चलने की बात कह दी. इसकी जानकारी एएसपी दीपक मिश्रा को लगी. वह शाम को एसडीओपी ऑफिस आए और जांच शुरू की. उन्होंने एसपी सुनील कुमार मेहता और आईजी प्रमोद वर्मा को भी बताया. इसके बाद एसपी ने भी एसडीओपी को कॉल कर जानकारी मांगी, तो उन्हें भी ठीक से जानकारी नहीं दी. इसके बाद आईजी ने 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए. जंगल में जिस जगह गाड़ी पकड़ी थी, शुक्रवार को वहां भी पुलिस टीम जांच करने गई है. आशंका है कि कुछ पैसा वहां छूट गया है.